



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07062022-236365
CG-DL-E-07062022-236365

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 407]
No. 407]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 7, 2022/ज्येष्ठ 17, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 7, 2022/JYAISHTHA 17, 1944

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2022

सं. 31/2022-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 428(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, अनुबंध में, शर्त संख्या 95 में, खंड (ii) में, उप-खंड (क) में, -

- शब्द "एक सौ छब्बीस महीने" के स्थान पर शब्द "एक सौ बासठ महीने" प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और
- शब्द "एक सौ बीस महीने" के स्थान पर, शब्द "एक सौ छप्पन महीने" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/120/2021-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, को सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 26/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 21 मई, 2022, जिसे सा.का.नि. 378 (अ), दिनांक 21 मई, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2022

No. 31/2022-Customs

G.S.R. 428(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely :-

In the said notification, in the ANNEXURE, in Condition No. 95, in clause (ii), in sub-clause (a),-

- (i) for the words “one hundred and twenty-six months”, the words “one hundred and sixty-two months” shall be substituted; and
- (ii) for the words “one hundred and twenty months”, the words “one hundred and fifty-six months” shall be substituted.

[F. No. CBIC-190354/120/2021-TRU Section-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification No.50/2017-Customs, dated the 30th day of June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 26/2022-Customs, dated the 21st May, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 378(E), dated the 21st May, 2022.